10/1/19- वकील वादी हाजिर। पत्रावली वास्ते अवलोकन
मय आदेश हेतु 8/1/19 को पेश हो।

5/1/19- वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी एकपक्षीय का अवलोकन
किया गया। वकील वादी द्वारा बहस किया
गया। वकील वादी की बहस को
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वकील वादी ने दौरान बहस निवेदन किया
कि [illegible] डिक्री लिखी जाने के लिए
[illegible] किया। बहस व अवलोकन पत्रावली वादी
का [illegible] डिक्री किया जाना उचित
प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद [illegible]
[illegible] डिक्री किया
जाता है। [illegible] के [illegible]
[illegible] है। [illegible] डिक्री [illegible] हो।
पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 156 / 2015
वाद दायरी दिनांक : 28 / 10 / 2015
निर्णय दिनांक : 05/02/2019

बृज मेवात शिक्षण संस्थान जयपुर जरिये सचिव आशा गुप्ता धर्मपत्नी श्यामलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 331, शान्ति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, राज0।

—— वादी

बनाम

1. दामीदेवी धर्मपत्नी जगदीशनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. राजकुमार पुत्र परशुराम,
3. रजनीश पुत्र परशुराम
4. मुकेशचन्द पुत्र परशुराम
5. चन्दादेवी पुत्री परशुराम

(2 से 5) समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीगण महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

6. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी 4 / 152, चित्रकूट कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री महेश चौधरी
श्री बलवन्त सिंह चौधरी
श्री विजय कुमार शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 05/02/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि "अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 / 1 / 2 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

कल्याणसर, पटवार हल्का महलां, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया तथा तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।"

तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./18 दिनांक 24/12/2018 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद यदि अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं अधिवक्ता वादी ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कल्याणसर, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा में
1.	बृज मेवात शिक्षण संस्थान जयपुर जरिये सचिव श्रीमती आशा गुप्ता धर्मपत्नी श्यामलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 331, शान्ति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।	104/1/2 मिन	0–10
2.	राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी सी 4/152, चित्रकुट, वैशाली नगर, अजमेर रोड, जयपुर हि. 80/193, राजकुमार, रजनीश, मुकेशचन्द पि.	104/1/2 मिन	9–13

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुख्यालय

Scanned by CamScanner

	परशुराम, चन्दा देवी पुत्र परशुराम हि. 113/386 जाति ब्राह्मण सा० महलां, दामीदेवी धर्मपत्नी जगदीशनारायण शर्मा हि. 113/386, जाति ब्राह्मण सा० नासनोता हाल आबाद महलां।		

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : [illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

कैलिन डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत [illegible] न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) [illegible] (चूरू)

ब इजलास श्री [illegible]

[illegible] मुद्दई बनाम [illegible] मुद्दायलह दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नं. 158/2015 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल करार्ड रूबरू श्री [illegible] वकील वादी

ब हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

कि : वादी का वाद मुताबिक नक्शा [illegible] के डिक्री किया जाकर [illegible] को मुताबिक नक्शा [illegible] किया जाना [illegible] किया जाता है :-

मि० .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ......ना आदा की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

सहायक कार्यालय

ओहदा (फास्ट ट्रैक) चूरू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा है.=बिस्वा
1.	कृष्ण गोपाल निर्माण सहकारी समिति जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमति कमला गुप्ता धर्मपत्नी श्यामलाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 331, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर	104/1/2 मिन	0-10
2	राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र हेमचन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान 4/152, विद्याधर, वैशाली नगर, अजमेर रोड, जयपुर हि. 80/193, राजकुमार, रणवीर, हुकमचन्द पि. परशुराम पुत्र देवी पुत्री परशुराम हि. 113/386 जाति ब्राह्मण सा. हटवाड़ा, व वाके देवी धर्मपत्नी जगदीश नारायण शर्मा हि. 113/386, जाति ब्राह्मण सा. [illegible] हाल आबाद हटवाड़ा।	104/1/2 मिन	9-13

सहायक कलक्टर [illegible]

Scanned by CamScanner